

अपर महाप्रबंधक/उ.म.रे./इलाहाबाद।

समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप म. प्र., उप म. प्र./सा.मु.प्रशा.अधि./नि.

मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, झांसी, आगरा।

मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगनरिपेयर शॉप, झांसी।

मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेलस्प्रिंग कारखाना, सिधौली (ग्वालियर)। च  
चेयरमैन, आरआरसी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।

उप मु. सा. प्र./झांसी, उप मुख्य इंजी./सीपीओएच/इला., अधि.इंजी./सीएसपी/इला.।

प्रिन्सिपल-सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेंटर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, लोको, झांसी, बेसिक

ट्रेनिंग सेंटर, सी एण्ड डब्ल्यू झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड

डब्ल्यू ट्रेनिंग सेंटर, कानपुर, परमानेन्टवे ट्रेनिंग सेंटर झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रेनिंग सेंटर

सूबेदारगंज, इला., इलैक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर कानपुर, मु.प्रा.अधि., आईआरपीएमयू/नईदिल्ली।

उप मु.इंजी./ब्रिज/लाईन/इला., झांसी, आगरा, उप मु.इंजी./टीएमसी/लाईन/झांसी।

व.स.वि.स./कैश एवंपे/उमरे, इला.।

**Sub:-Clarification on admissibility of Charge Allowance in Indian Railway.**

रेलवेबोर्ड के पत्र सं. PC-VII/2017/1/7/5/8 दिनांक 25.10.2018 की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— यथोक्त।

(वी.पी. सिंह)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्या.  
कृते महाप्रबंधक कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/स्था., उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयरइन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक— एस.सी., एस.टी. उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एनसीआरई एस, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
6. महामंत्री, एनसीआर एम यू, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
7. महामंत्री, एनसीआरपीओ ए, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।

06/12/18

RBL-2018-2147  
8-11-18

64

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)  
(Railway Board)

No. PC-VII/2017/1/7/5/8

New Delhi, dated: 25.10.2018

The General Manager/PCPOs,  
All Indian Railways & Production Units,

Sub: - Clarification on admissibility of Charge Allowance in Indian Railways

Consequent to implementation of recommendations of 7<sup>th</sup> CPC, various references have been received from Zonal Railways regarding admissibility of Charge Allowance in the 7<sup>th</sup> CPC pay structure and grant of benefits like DA, HRA etc. on the same.

2. In this context, it is informed that the issue of admissibility of Charge Allowance in 7<sup>th</sup> CPC pay structure is presently under examination in Department of Personnel and Training.
3. In view of the same, it is informed that any clarifications regarding Charge Allowance can only be issued by Board's office once guidelines in this matter are issued by DoPT.

महाप्रबन्धक कार्यालय  
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद  
RBL  
12 30 OCT 2018  
महाप्रबन्धक सचिव

PCPO

(Jaya Kumar G)  
Deputy Director, Pay Commission-VII  
Railway Board

D  
AM  
3/12/18

प्रो मुकाधित	
मुकाधित (प्रशात)	✓
मुकाधित (आइओ आरओ)	
उप मुकाधित (राज)	
उप मुकाधित (मुख्यात)	✓
उप मुकाधित (आइओ)	3/12/18
अध्यक्ष/रिओमओप्रओ	
प्रओ काओ अधित (राज)	
प्रओ काओ अधित (ऑओसओ)	
प्रओकाओ अधित (मुख्यात)	✓
सकाधित (आइओआरओ)	
सकाधित (मर्तीओ)	
मुओ कार्यात अधित/कार्यात अधित	✓